

१

१६०

संचिका सं०-१७/आरोप -०१/२०२० ~ १११ (१७)  
**बिहार सरकार**  
**स्वास्थ्य विभाग**

प्रेषक,

विवेकानन्द ठाकुर,  
 सरकार के अवर सचिव,  
 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषित,

- लैटर जारी - २५.०१.२०२०
१. डा० पूनम रानी, ट्यूटर, फिजियोलॉजी विभाग,
  २. डा० संतोष कुमार, ट्यूटर, एफ०एम०टी० विभाग
  ३. डा० मनोज कुमार, सीनियर रेजिडेन्ट, शिशु रोग विभाग
  ४. डा० चेतना, सीनियर रेजिडेन्ट, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग
  ५. डा० मधु कुमारी, सीनियर रेजिडेन्ट, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग
  ६. डा० विद्या भारती, सीनियर रेजिडेन्ट, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग
  ७. डा० रश्मिलता, सीनियर रेजिडेन्ट, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग
  ८. डा० सोनाली श्री, सीनियर रेजिडेन्ट, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग
  ९. डा० राम प्रसाद, सीनियर रेजिडेन्ट, दंत विभाग
  १०. डा० सबा, सीनियर रेजिडेन्ट, दंत विभाग
- श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक-२५/०१/२०२०

विषय :- भारतीय चिकित्सा परिषद् के दिनांक-३०.१२.२०१९ को निरीक्षण के क्रम में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् के दिनांक-३०.१२.२०१९ को निरीक्षण के क्रम में आप अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहे। आपका यह कृत्य संस्थानहित एवं राज्यहित के प्रतिकूल है एवं आपकी कर्तव्यहीनता, गंभीर अनुशासनहीनता एवं कदाचार का द्योतक है।

अतः पत्र प्राप्ति के ०७(सात) दिनों के अंदर आप स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं उक्त कृत्य के कारण आपकी टेन्योर समाप्त कर दी जाए। पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अंदर यदि कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

१५०५००२०२०२०

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- १७/आरोप-१/२०२० - १११ (१७) /स्वा०, पटना, दिनांक-२५/०१/२०२०

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्राचार्य/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर निरेशित हैं कि अनुपस्थित सी०र००/ट्यूटर को आवश्यक रूप से पत्र का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन ०२ दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

१५०५००२०२०२०२०

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- 138/20

दिनांक:- 24/11/2020

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित चिकित्सको/शिक्षकों को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में, आप अपना स्पष्टिकरण दो दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि सरकार को ससमय उपलब्ध कराया जा सके।
2. कॉलेज वेबसाईट ।

प्राचार्य  
१३८/२०२०.

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर